



# राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 19, मंगलवार, शाके 1926—अगस्त 10, 2004 Sravana 19, Tuesday, Saka 1926—August 10, 2004

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम । विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 10, 2004

संख्या प. 2 (19) विधि/2/2004.-राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 10 अगस्त, 2004 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-.

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

( 2004 का अधिनियम संख्यांक 13 )

[ राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 10 अगस्त, 2004 को प्राप्त हुई ]

राज्य सड़कों के विकास के लिए निधि स्थापित करने और इस प्रयोजन के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर उपकर के रूप में कर उद्गृहीत और संगृहीत करने और उनसे संसकत और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल

#### अध्याय 1

# प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 है।
  - (2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।
- 2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) ''उपकर'' से माल के विक्रय पर कर स्वरूप, पेट्रोल और हाई स्पीड 'डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिरोपित और संगृहीत कर अभिप्रेत है;
  - (ख) ''विकास'' के अन्तर्गत सिनामीण, रख-रखाव, उन्नतकरण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाकरण, सुधार है;
  - (ग) ''निधि'' से धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राज्य सड़क विकास निधि अभिप्रेत है;
  - (घ) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत है कोई कम्पनी या व्यष्टियों का संगमी निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;
  - (ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (च) ''राज्य सड़क'' से राज्य के भीतर की समस्त सार्वजनिक संड़कें अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत हैं-
    - (i) उससे अनुलग्न समस्त भूमियां;
    - (ii) ऐसी सड़कों के समस्त पहुंच मार्ग, उन पर, उनके ऊपर, आस-पास या आर-पार के पुल, फ्लाई ओवर, पुलियाएं, सुरंगें, काजवे, वहन मार्ग और अन्य सन्निर्माण: और
    - (iii) ऐसी सड़कों के सभी बाड़े, वृक्ष, चौकियां और सीमाएं, दो सौ मीटर और किलोमीटर के पत्थर;

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

## अध्याय 2

# उपकर का उद्ग्रहण

3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण .-(1) ऐसी तारीख से, जो राज्य



सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट के विक्रय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा.।

2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर राज्य में उत्तरोत्तर विक्रयों की आविलयों में ऐसे एकल बिन्दु पर होगा जो विहित किया जाये और एक रूपया प्रति लीटर से अनिधक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपंत्र में अधिसूचित की जाये।

- (3) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट माल का विक्रय किया जाता
  - (4) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट माल पर तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय किसी भी कर के अतिरिक्त होगा।
  - (5) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जिनमें प्रतिदायों और छूटों से संबंधित उपबंध सिम्मिलत हैं, इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो उपर्युक्त अधिनियम में उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट माल पर उपकर के उद्ग्रहण का उपबंध है।

उपकर का राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना - धारा 3 के जिथीन उद्गृहीत उपकर आगम प्रथमत: राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, यदि राज्य विधान-मण्डल विधि द्वारा इस निमित्त किये गये विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध करे तो, ऐसे आगमों को, संग्रहण के व्यथों की कटौती करने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लिये जाने के लिए समय-समय पर निधि में जमा कर सकेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.-राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, अनुदानों और ऋंणों के रूप में ऐसी धनराशियां निधि में जमा कर सकेगी जो राज्य सरकार आवश्यक समझे।

### अध्याय 3

# राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि

- 6. राज्य सड़क विकास निधि की स्थापना:-(1) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि'' के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी।
- (2) निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा :-
  - (क) धारा 4 या धारा 5 के अधीन संदत्त कोई भी धनराशियां;
  - (ख) राज्य या केन्द्रीय सरकार की किसी भी अन्य एजेन्सी द्वारा निधि के लिए आबंटित कोई भी अन्य रकम ।
- (3) निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत नहीं होगा।
  - 7. निधि का उपयोग .- निधि का उपयोग-
    - (i) राज्य सड़कों के विकास;
    - (ii) राज्य सड़क विकास की ऐसी परियोजनाओं के संबंध में संवितरण, जो विहित की जायें,

के लिए किया जायेगा।

8. लेखा और संपरीक्षा.-(1) राज्य सरकार के संबंधित विभाग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेंगे और निधिटमें से अपने-अपने हिस्से के



आवंटन के संबंध में वार्षिक लेखा विवरण, जिसमें लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र सम्मिलित है, तैयार करेंगे।

(2) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के मियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

#### अध्याय 4

# राज्य सड़क विकास निधि का प्रबंध

- 9. राज्य सरकार की निधि का प्रबंध करने की शक्तियां.-(1) राज्य सरकार को निधि का प्रबंध करने की शक्ति होगी और वह,-
  - (क) राज्य सड़क विकास की परियोजनाओं में विनिधान से संबंधित ऐसे विनिश्चय कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे;
  - (ख) राज्य सड़कों के विकास के लिए निधियां जुटाने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी जो आवश्यक हों;
  - (ग) राज्य सड़कों के विकास के लिए उत्तरदायी विभागों को ऐसी निधियां आबंटित और संवितरित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।
- (2) (क) राज्य सरकार राज्य सड़क विकास निधि के प्रबंध के लिए राज्य सड़क विकास निधि प्रबंध बोर्ड का गठन कर सकेगी।
- (ख) खण्ड (क) के अधीन गठित बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें।
- 10. **राज्य सरकार के कृत्य.**-राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:-
  - (i) निधि का प्रशासन और प्रबंध;
  - (ii) निधि में से आबंटित समस्त राशि का समन्वय, संपूर्ति और यथासमय उपयोग;
  - (iii) राज्य सड़कों के विकास के लिए और ऐसी रीति से स्कीमों की मंजूरी जो विहित की जाय,
  - (iv) ऐसे मानदण्ड निश्चित करना जिनके आधार पर राज्य सड़कों के विकास की विनिर्दिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन और निधि में से वित्तपोपण किया जायेगा; और

(v) राज्य सड़क विकास की विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए विभागों या संगठनों को निधि निर्मुक्त करना और ऐसी परियोजनाओं और उन पर उपगत व्यय को मानीटर करना ।

#### अध्याय 5

## प्रकीर्ण

11. किठनाइयों के निराकरण की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई भी किठनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी किठनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा।
- 12. नियम बनाने की शक्ति.-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालाविध के लिए, जो एक सत्र में या हो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

जी. एस. होरा,

शासन सचिव।



## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

## (GROUP-II)

#### NOTIFICATION

## Jaipur, August 10, 2004

No. F. 2 (19) Vidhi-2/2004.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of the Rajasthan Rajya Sadak Vikas Nidhi Adhiniyam, 2004 (2004 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):—

(Authorised English Translation)

# THE RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND ACT, 2004

(Act No. 13 of 2004)

[Received the assent of the Governor on the 10th day of August, 2004]

An

Act

to provide for establishment of a Fund for development of State roads and for this purpose to levy and collect, by way of cess, a tax on sale of motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

#### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004.
  - (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.
- 2. **Definitions**.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "cess" means a tax in the nature of a tax on sale of goods, imposed and collected on sale of motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil for the purposes of this Act;
  - (b) "development" includes construction, maintenance, upgradation, strengthening, widening, improvement;
  - (c) "Fund" means the State Road Development Funestablished under sub-section (1) of section 6;
  - (d) "person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;
  - (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
  - (f) "State road" means all public roads within the State and includes—
    - (i) all lands appurtenant thereto;
    - (ii) all approach roads, bridges, flyovers, culverts, tunnels, causeways, carriage-ways and other structures on, over, along or across such roads; and
    - (iii) all fences, trees, posts and boundaries, two hundred meter and kilometer stones of such roads,

but does not include a National Highway.

# CHAPTER II LEVY OF CESS

3. Levy and collection of cess.— (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, there shall be levied and



collected, as cess, a tax on sale of motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil for the purposes of this Act.

- (2) The cess leviable under sub-section (1) shall be at such single point in the series of successive sales in the State, as may be prescribed and shall be levied at such rates, not exceeding one rupee per litre, as may be notified by the State Government in the Official Gazette.
- (3) The cess leviable under sub-section (1) shall be payable by the person by whom the goods specified in sub-section (1) are sold.
- (4) The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on the goods specified in sub-section (1) under any other law for the time being in force.
  - (5) The provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995) and the rules made thereunder, including the provisions relating to refunds and exemptions, shall, as far as may be, apply in relation to levy and collection of cess leviable under this section and for that purpose, the provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995) shall have effect as if the aforesaid Act provided for the levy of cess on the goods specified in sub-section (1).
  - 4. Crediting of cess to Consolidated Fund of the State.— The proceeds of the cess levied under section 3 shall first be credited to the Consolidated Fund of the State, and the State Government may, if the State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, credit such proceeds to the Fund, from time to time, after deducting the expenses of collection, for being utilised exclusively for the purposes of this Act.
  - 5. Grants and loans by the State Government.- The State Government may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, credit by way of grants or loans such sums of money as the State Government may consider necessary in the Fund.

## CHAPTER III

## RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND

- 6. Establishment of State Road Development Fund.—
  (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of this Act, a Fund to be called as the "Rajasthan State Road Development Fund".
- (2) The Fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited thereto—
  - (a) any sums of money paid under section 4 or section 5;
  - (b) any other amounts allocated to the Fund by any other agency of the State or Central Government.
- (3) The balance to the credit of the Fund shall not lapse at the end of the financial year.
- 7. Utilization of the Fund.—The Fund shall be utilised for the—
  - (i) development of State roads;
  - (ii) disbursement in respect of such projects of State road development, as may be prescribed.
- 8. Accounts and audit.— (1) The concerned departments of the State Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the profit and loss account and the balance sheet in respect of allocations of their shares out of the Fund.
- (2) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him.

# 6

#### CHAPTER IV

# MANAGEMENT OF STATE ROAD DEVELOPMENT FUND

- 9. Powers of the State Government to administer the Fund.—(1) The State Government shall have the power to administer the Fund and shall—
  - (a) take such decisions regarding investment on
     projects of State road development as it considers necessary;
  - (b) take such measures as may be necessary to raise funds for the development of State roads;
  - (c) allocate and disburse such funds as it considers necessary to the departments responsible for the development of State roads.
- (2) (a) The State Government may constitute a State Road Development Fund Management Board for the management of the State Road Development Fund.
- (b) The Board constituted under clause (a) shall exercise such powers and discharge such functions, as may be prescribed.
- 10. Functions of the State Government.—The State Government shall be responsible for the—
  - (i) administration and management of the Fund; .
- (ii) co-ordination, completion and timely utilization of all sums allocated out of the Fund;
- (iii) sanction of schemes for development of State Roads in such manner, as may be prescribed;
- - (v) release of funds to the departments or organizations for specific projects of State roads development and monitoring of such projects and the expenditure incurred thereon.

### CHAPTER V

#### MISCELLANEOUS

11. Powers to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the State Legislature while it is in session.
- 12. Power to make rules (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

जी. एस. होरा,

Secretary to the Government.